सं. 34/77/2009-ईओ(एफ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-1
दिनांक 8 अक्टूबर 2009

प्रशिक्षण परिपत्र

विषयः मध्य स्तरीय पदधारियों के लिए लोक कार्मिक प्रशासन पर 25/01/2010 से 13/02/2010 तक जापान में होने वाली संगोष्ठी

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जापान सरकार के तकनीकी सहयोग के अधीन जापान अन्तरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) ने मध्य स्तरीय पदधारियों के लिए लोक कार्मिक प्रशासन पर 25/01/2010 से 13/02/2010 तक जापान में होने वाली संगोष्ठी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कार्यक्रम के विवरण और आवेदन प्रपत्र कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की वेबसाइट **(persmin.nic.in)** से लिए जा सकते हैं।

2. यह कार्यक्रम केन्द्रीय कार्मिक प्रशासन एजेंसियों के मध्य-क्रम के पदधारियों को प्रस्तावित किया जाता है जो समग्र राष्ट्रीय सरकार के कार्मिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी थी। पाठ्यक्रम भाग लेने वाले प्रत्येक देश में कार्मिक प्रशासन को सुधारने के लिए लक्षित है।

3. अभ्यर्थी केन्द्रीय कार्मिक प्रशासन एजेंसियों में नीति निर्माण और कार्यान्वयन में (सरकारी अधिकारियों के कार्मिक प्रबंधन के लिए उत्तरदायी) शामिल मध्य स्तर पर केन्द्र सरकार का पदधारी होना चाहिए; सरकारी कार्यालयों में कार्मिक प्रबंधन के प्रभारी के रूप में तीन वर्षों से अधिक का व्यावसायिक अनुभव हो; विश्वविद्यालय स्नातक या समकक्ष हो; तीस और चालीस के बीच की आयु का हो; अंग्रेजी लिखने और बोलने में निपुण हो; प्रशिक्षण से गुजरने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से अच्छा स्वास्थ्य हो तथा किसी भी प्रकार की सैन्य सेवाओं में सेवारत नहीं होना चाहिए।

4. जेआईसीए जेआईसीए और जापान द्वारा प्राधिकृत किसी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के बीच आने-जाने की यात्रा (राउंड-अप ट्रिप) की लागत; जापान में आगमन से प्रस्थान तक यात्रा बीमा; को आवृत करता है; और आवास, निर्वाह खर्चों, यात्रा के लिए सामान (आउटफिट) और पोतपरिवहन; अध्ययन दौरे के लिए खर्चों; ऐसे सहभागियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवा जो

जापान पहुँचने के बाद बीमार पड़ सकते हैं (पूर्व-विद्यमान बीमारी, गर्भावस्था, या दंतोपचार से संबंधित लागतें शामिल नहीं हैं) को शामिल करता है।

5. यह अनुरोध किया जाता है कि पात्रता मानदंडों और जेआईसीए के परिपत्र दिनांक 5 अक्टूबर 2009 के नियमों एवं शर्तों के अनुसार उपयुक्त अभ्यर्थियों के नामांकन इस विभाग को अग्रसरित किए जा सकते हैं। मंत्रालय केवल सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के पदस्थों के नाम ही प्रायोजित कर सकते हैं।

6. देश की रिपोर्ट के साथ नामांकन के विवरण संबंधित विभाग द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित करके जेसीआईए के निर्धारित प्रोफॉर्मा (ए2ए3) में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

7. आवेदन उचित माध्यम से इस विभाग को **अधिकतम 1 दिसंबर 2009** तक पहुँच जाने चाहिए। निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाला परिपत्र विभाग की वेबसाइट persmin.nic.in पर उपलब्ध है।

(त्रिशालजीत सेठी)
निदेशक

1. सचिव, सभी मंत्रालय/विभाग, भारत सरकार
2. निदेशक (तकनीकी), एनआईसी को इस परिपत्र को जेआईसीए के परिपत्र और संलग्न आवेदन प्रोफॉर्मा के साथ विभाग की वेबसाईट में डालने के अनुरोध के साथ